कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति हरदा

प्रति,

कलेक्टर एंव अध्यक्ष,
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समित मर्या0
जिला – हरदा

विषयः–अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित युवाओं के लिये एकीकृत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)

संदर्भः–आयुक्त अनुसूचित जाति विकास का पृ.पत्र कमांक/शिक्षा–4/प्रशिक्षण/नक25/2010–11/9028, दिनांक 25.1.2011 म.प्र. शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण का पत्र कमांक/एफ–12/58/2008/4/25, दिनांक19.8.2008 एंव आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास का पत्र कमांक/3373, दिनांक 6.8.2010 निगम का पत्र कमांक/यो.–2/प्रशि./2011/3047 भोपाल दिनांक 9.3.11

–––000–––

आयुक्त अनुसूचित जाति विकास के संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति वर्ग शिक्षित युवाओं के लिए एकीकृत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना(विशेष केन्द्रीय सहायता) के कियान्वयन का कार्य इस निगम को सौंपा गया है। योजना का कियान्वयन जिला ईकाईयों के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना का कियान्वयन हेतु निम्नलिखित तत्थों के आधार पर ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः–

1. रोजगार प्रशिक्षण की योजनाओं के संबंध में सामाजिक न्याय एंव अधिकारिकता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत वित्तीय प्रावधानों की सीमा में योजना के प्रस्ताव स्वीकृत करने के अधिकार, इस हेतु गठित समिति के अनुशंसा के आधार पर संबंधित जिले के कलेक्टर को होगें।

2. योजना की स्वीकृती एंव मुल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें जिलें की आई.टी. आई./पालीटेक्निक अथवा इस विषय से संबंधित प्रतिष्ठित संस्थान के प्रमुख (सदस्य) एंव कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रशिक्षण से संबंधित विषय विशेषज्ञ तथा संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति हरदा सदस्य सचिव रहेगे।

3. उक्त समिति शासकीय प्रशिक्षण संस्थायें जैसे–पॉलीटेकनिक,महिला पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाएं तथा अन्य ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाए जो प्रशिक्षण देने में सक्षम है, एंव प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त आधार भूत सूविधायें उपलब्ध है, का चयन किया जाकर निर्धारित प्रतिशत तक रोजगार सुनिश्चित करने की शर्तो पर अनुबंध किया जा सकता है।

4. चयनिय संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु समाचार पत्रों मे. प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

5. **प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता निम्नानुसार रहेगीः–**

   1. प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी तथा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है।
   2. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्याता 10 वी उर्त्तीण होगी। शेष योग्यता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।
   3. आवेदक अथवा उनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रूपयें 1.20 लाख से अधिक नही हानी चाहिये।

6. प्रशिक्षणार्थी के आवेदन के साथ समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति, वार्षिक, आय प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एंव जन्म दिनांक हेतु प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

7. प्रशिक्षण की प्रकृति एंव प्रशिक्षण की अवधि को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं हेतु अधिकतम फीस की सीमा अनु.क्र. 2 में गठित समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा निश्चित की जावेगी। किसी भी प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष से अधिक की नही होगी।

8. प्रशिक्षण यदि नियोक्ता संस्थान द्वारा दिया जाता है तो इस हेतु प्रशिक्षण की राशि का भुगतान नही किया जायेगा।

9. प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को लॉजिंग/बोडिंग हेतु (बाह्य प्रशिक्षणार्थियों की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों के लिये) प्रतिमाह रूपयें 1,000/– एंव स्टेशनरी एंव अन्य प्रशिक्षण व्यय की पूर्ति हेतु एक प्रशिक्षण अवधि के लिये अधिकतम रूपयें 5,000/– सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिये स्वीकृत किये जायेगें।

10. अधिक रोजगार वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार में स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

11. जिला जहॉ अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित है एंव रोजगार की अधिक संभावनायें है। ऐसे संभागीय मुख्यालय/जिला मुख्यालयों को उक्त उद्योगों से संबंधित व्यवसायों के प्राथमिकता दी जावे।

12. संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण का चयन करते समय इस बात का ध्यान आवश्य रखा जाये कि प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त होने वाले रोजगार के परिणाम स्वरूप वेतन–भत्तों की मात्रा का संतोषजनक स्तर तथा रोजगार की निरंतरता की संभावनाए हो।

13. निगम द्वारा प्रशिक्षण में रोजगार की संभावनायें एंव राशि की उपलब्धता के आधार पर आनुपातिक रूप से राशि उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्य का समय–समय पर अनुश्रवण एंव मूल्यांकन कराये जाने के आधार पर प्रशिक्षण की प्रगति के मान से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

14. प्रशिक्षण संस्था से लिखित एम.ओ.यू. संस्था प्रमुख एंव संबंधित जिले के कलेक्टर के मध्य संधारित होगा तथा एम.ओ.यू. का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिले के कलेक्टर का होगा। प्रशिक्षणार्थियों एंव रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी का संपूर्ण अभिलेख प्रशिक्षण संस्था द्वारा संधारित किया जायेगा।

15. जिला इकाईयॉ प्रगति का विवरण प्रति माह कलेक्टर के अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रबंध संचालक को प्रेषित करेंगे।

16. संस्थाओं एंव प्रशिक्षणार्थियों के चयन पश्चात प्राथमिकतौर पर प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु कुल स्वीकृती राशि 25 प्रतिशत राशि जिला इकाईयों को निगम मुख्यालय द्वारा जारी की जावेंगी। समय–समय पर किये गये मूल्यांकन एंव अनुश्रवण प्रतिवेदनों एंव पूर्व में दी गई राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात 25 प्रतिशत राशि पुनः जारी की जावेगी।

17. प्रशिक्षण संस्थाओं को शेष 50 प्रतिशत की राशि अनुबंध अनुसार संस्था द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित कराने के पश्चात जारी की जायेगी।

18. सभी जिला इकाईयॉ प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप में विज्ञप्ति प्रकाशित करा कर संस्थाओं से आवेदन प्राप्त कर तथा संस्थाओं का चयन कर इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रारंभ करें एंव प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी से तत्काल निगम को अवगत करायें।

19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एंव बाध्यकारी होगा।

पत्र के साथ प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति प्रशिक्षण हेतु विस्तृत विवरण एंव शर्ते तथा अनुबंध का प्रारूप संलग्न है। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

परिशिष्ट–एक

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश मूल निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के न्यूनतम कक्षा 10 वी उत्त्तीण शिक्षित बेरोजगार युवको को विभिन्न विभिन्न विषयों मे रोजगार निश्चितता युक्त रोजगार/स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण/ कौशल विकास के लिए प्रतिष्ठित/अनुभवी एंव प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त निजी/स्वशायी/शासकीय एंव अर्द्धशासकीय संस्थाओं से उनके द्वारा संचालित प्रशिक्षण कोर्स एंव प्रशिक्षण शुल्क की राशि के साथ वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए प्रस्ताव/आवेदन पत्र दिनांक .... तक बंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते है। उक्त संबंध में विस्तृत विवरण/शर्ते कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सोमानी किराना दुकान के सामने मैंदा मिल के पास छिपानेर रोड हरदा में एंव मध्य प्रदेश शासन की बेवसाइट पर भी देखा जा सकता है।

कलेक्टर
हरदा

परिशिष्ट–दो

विभिन्न स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2010–11 के लिए विस्तृत विवरण एंव शर्ते

1. प्रशिक्षण निम्नांकित विषयों में दिया जा सकता हैः– फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाईनिंग, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल पम्प, मेकेनिक, डीजल पंप रिपेयरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंव नेटवर्किंग, कम्प्यूटर एकाउन्टिंग, नर्सिंग हास्पिटिलिटी एंव एवियेशन, दो पहिया वाहन मरम्मत, इण्डस्ट्रियल ऑटोमेशन, कौशल विकास, मोटर बाईडिंग, एम्ब्रायडरी, घरेलू विधूत वायरिंग, गारमेंट मैकिंग नर्सिग प्रशिक्षण, सिक्योरिटी गार्ड, प्लास्टिक प्रोसेसटेक्निग, सी.एन.सी. मशीन, आप्रेशन विविध रोजगार मूलक, स्किल डब्लपमेंट (कौशल विकास) एंव समकक्ष अन्य रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आदि। अपरोक्त व्यवसाय संकेतिक है उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अच्छे रोजगार की संभावनाएं निहित हो उन व्यवसायों में भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं को छोडकर शेष संबंधित संस्था/एन. जी.ओ. का पंजीयन सोसायटी एक्ट/फर्म/कम्पनी एक्ट के अंतर्गत होना चाहिये तथा संस्था को संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का विगत तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिये।

3. प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण स्थान, प्रशिक्षण अवधि तथा प्रशिक्षण संस्था आदि का चयन गठित चयन समिति की अनुशंसा पर संबंधित कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन दिया जायेगा। प्रशिक्षण देने वाली संस्था के विगत वर्षो में प्रशिक्षणार्थियों को दिलाये गये रोजगार की प्रमाणिक जानकारी भी देना होगी।

4. आई.टी.आई. से संबंधित विषयों हेतु प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम दो वर्ष से अधिक नही होना चाहिये। कम्प्यूटर हार्डवेयर एंव नेटवर्किंग तथा कम्प्यूटर एकाउन्टिंग से संबंधित प्रशिक्षण की अवधि 15 माह से अधिक न हो। कम प्रशिक्षण अवधि एंव अधिक प्लेसमेंट वाले प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी।

5. अभ्यार्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उर्त्तीण होगी। शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

6. प्रशिक्षणार्थी के आवेदन के साथ समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति, वार्षिक आय प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, एंव जन्म दिनांक हेतु प्रमाण–पत्र, अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

7. कलेक्टर द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्था को निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जावेगी। प्रशिक्षण शुल्क की राशि के अतिरिक्त अन्य किसी राशि का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त करों का भुगतान संबंधित संस्था को स्वयं वहन करना होगा।

8. प्रशिक्षण संस्था का चयन होने पर संस्था को कलेक्टर से लिखित अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

9. समय–समय पर प्रशिक्षण संस्था एंव प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरीक्षण शासन, निगम एंव कलेक्टर/कलेक्टर द्वार अधिकृत अधिकारियों एंव अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

10. चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा। निरीक्षण में प्रशिक्षण की गुणवत्ता एंव फेकल्टी उपयुक्त न पाये जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण संस्था ही उत्तरदायी होगी।

11. प्रशिक्षण संस्था को निम्नांकित जानकारी समय–समय पर कलेक्टर को उपलब्ध करानी होगी–

1. प्रशिक्षण हेतु दी गई, राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षणार्थियों के नाम पते जाति एंव फोटोग्राफ।
2. प्लेसमेंट की जानकारी,
3. शिष्यवृति भुगतान की जानकारी,
4. प्रशिक्षण की वीडियोग्राफी,
5. फेकल्टी की जानकारी एंव प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति,

12. विभाग द्वारा प्रशिक्षण अवधि में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त बाह्य प्रशिक्षणार्थियों को पृथक से रूपयें 1,000/– प्रतिमाह शिष्यवृति की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। कुल प्रशिक्षण अवधि में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले प्रशिक्षणार्थियों की शिष्यवृति की पात्रता नही होगी तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एंव प्राईवेट उपक्रमों के रोजगार प्राप्त अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण एंव शिष्यवृत्ति की पात्रता नही होगी।

13. रोजगार संबंधि विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने वाली इच्छुक संस्थायें विस्तृत जानकारी के साथ कलेक्टर से संपर्क कर सकती है, ऐसी संस्थायें अपने प्रस्ताव/आवेदन पत्र बंद लिफाफे में कलेक्टर को दिनांक (संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित तिथि) तक भेज सकती है।

14. प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जावेगी, एंव संस्था स्तर पर विषय विशेषज्ञ की समिति बना कर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा। जिन प्रशिक्षणार्थियों ने गत वर्ष विभाग द्वारा संचालित किसी रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को पुनः प्रशिक्षण का लाभ नही दिया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षणार्थियों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जायें।

15. योजना की स्वीकृती एंव मुल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमे जिले की आई.टी. आई/पोलीटेक्निक अथवा इस विषय से संबंधित प्रतिष्ठित संस्थान के प्रमुख (सदस्य) एंव कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रशिक्षण से संबंधित विषय विशेषज्ञ तथा संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, हरदा सदस्य सचिव रहेगें।

16. प्रशिक्षण संस्था से लिखित एम.ओ.यू. कराया जायेगा तथा प्रशिक्षणार्थियों एंव रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी का संपूर्ण अभिलेख प्रशिक्षण संस्था द्वारा संधारित किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु संबंधित संस्था के साथ किये जाने वाले अनुबंध की शर्तो की पूर्ति सुनिश्चित कराने का अधिकार एंव दायित्व संबंधित कलेक्टर का होगा।

17. संस्थाओं एंव प्रशिक्षणार्थियों के चयन पश्चात प्राथमिक तौर पर प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु कुल स्वीकृती राशि 25 प्रतिशत राशि जिला ईकाईको निगम मुख्यालय द्वारा जारी की जावेगी। समय–समय पर किये गये मूल्यांकन एंव अनुश्रवण प्रतिवेदनों एंव पूर्व में दी गई राशि पुनः जारी की जावेगी।

18. प्रशिक्षण संस्थाओं को शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध अनुसार संस्था द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित कराने के पश्चात जारी की जावेगी।

19. प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए पृथक–पृथक अनुबंध संपदित किया जायेगा।

20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एंव बाध्यकारी होगा।

प्रबंध संचालक,

अनुबंध का प्रारूप

1.	प्रथम पक्षकार	कलेक्टर
2.	द्वितीय पक्षकार	1. संस्था का नाम व पूरा पता........... 2. पंजीयन क्रमांक एंव दिनांक.......... 3. संस्था का दूरभाष क्रमांक..............
3.	प्रशिक्षण व्यवसाय का नाम	
4.	प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या	
5.	अ. प्रशिक्षण की अवधि ब. प्रशिक्षण का समय	दिनांक................से दिनांक.......................तक बजे.....................से ....तक
6.	प्रशिक्षण स्थान का पूर्ण पता	
7.	प्रशिक्षण मे व्यय होने वाली राशि	
8.	अनुबंध की अवधि	केवल स्वीकृती प्रशिक्षण अवधि तक
9.	प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रक्रिया	समाचार पत्रों मे विज्ञप्ति के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित समिति द्वारा
10.	प्रशिक्षण का निरीक्षण/मूल्यांकन	शासन, निगम एंव कलेक्टर द्वारा समय पर कराया जायेगा।
11.	वित्तीय भुगतान	(तीन किश्तों में) प्रशिक्षण के प्रारंभ होन पर 25 प्रतिशत राशि, प्रशिक्षणकी प्रगति/मूल्यांकन/निरीक्षण अनुसार 25 प्रतिशत एंवराशि प्रशिक्षणकी प्रगति/मूल्यांकन/निरीक्षण अनुसार, 25 प्रतिशत एंव रोजगार प्राप्ति के उपलब्धता, के आधार पर शेष 50 प्रतिशत।
12.	रोजगार प्रतिस्थापना	पशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षण उपरांत कुल प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्ध कम सेकम 50 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना होगा।
13.	प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को शिष्यवृति	प्रशि़क्षण की औसत उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम नही होनी चाहियें तथा विशेष परिस्थितियों, मे न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही शिष्यवृति की राशि देय होगी।

14.	प्रशिक्षणार्थियों को बुक्स/ स्टेशनरी प्रशिक्षण सामाग्री,	प्रशिक्षण संस्था द्वारा फीस की राशिउपलब्ध कराई जायेगी। जो राशि रू. 5,000/–तक सीमित होगी यह सुविधा आंतरिक एंवबाह्य सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिये रहेगी। जो पूर्ण कोर्स के लिये रहेगी।

15. प्रशिक्षण हेतु निहित शर्तेः–

1. मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याणविभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक/डी–1161/708/2009/2/25दिनांक 10 अगस्त 2009 के द्वारा निःशुक्तजनों व्यक्ति(समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एंव पूर्ण भागीदारी) अधिनिय की धारा 40 के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन योजना/रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन, में कम से कम 3 प्रशिक्षण निःशक्तजनों को लाभांवित करने के लिये स्थान आरक्षित किया जाये।

2. महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिये न्युनतम 30 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित किया जायें।

3. प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता निम्नानुसार रहेगीः–

1. प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी तथा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है।
2. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीण होगी। शेष योग्यता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।
3. आवेदक अथवा उनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रूपयें 1.20 लाख से अधिक नही होगी चाहियें।
4. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम एंव 35 वर्ष से अधिक न हो।
5. प्रशिक्षणार्थी पूर्व से नियोजित न हो।
6. संस्था को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य का निर्धारण संबंधित जिलें के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा तथा संस्था द्वारा लक्ष्य अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. समक्ष प्रशिक्षण देने वाली संस्था की शैक्षणिक शुल्क दरों की तुलना अनुमोदित संस्था से कम होने की स्थिति में अनुमोदित संस्था को भी दरें कम करनें हेतु सहमति देना होगी तथा तद्नुसार शैक्षणिक शुल्क की दरों में कमी की जा सकेगी।
8. संस्थाओं को प्रशिक्षण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण की गुणवत्ता एंव फेकल्टी एंव प्रशिक्षण स्थल उपयुक्त न पाये जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण संस्था ही उत्तरदायी होगी।

9. प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण उपरांत रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की पूर्ण जानकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति हरदा को उपलब्ध करायी जाए।
10. जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास हरदा द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्था को निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। जिला अंत्यावसायी समिति द्वारा प्रशिक्षण शुल्क की राशि के अतिरिक्त आयकर एंव सेवाकर आदि का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त करों का भुगतान संबंधित संस्थान स्वंय करना होगा।

11. समय–समय पर प्रशिक्षण संस्था एंव प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण शासन, निगम एंव कलेक्टर/कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारियों एंव अंत्यावसायी सहकारी समिति के कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जावेंगा।

12. प्रशिक्षण स्थान से बाह्य प्रशिक्षणार्थियों को रूपयें 1,000/–(राशि रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह शिष्यवृति की राशि देय होगी।

13. प्रशिक्षण की अवधि एंव समय प्रति सप्ताह न्यूनतम 6 दिवस तथा प्रतिदिन 4 घंटा होगी।

14. प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिणार्थियों के बैठक हेतु पर्याप्त व्यवस्था होगी। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षणार्थियों हेतु सभी प्रकार की मूलभूत सुविधायें, पंप पेयजल विद्युत आदि की समुचित व्यवस्था करने का दायित्व द्वितीय पक्षकार (प्रशिक्षण देने वाली संस्था) का होगा।

15. प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षण उपरांत न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों/अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीयों में रोजगार उपलब्ध कराना होगा। ऐसे रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रशिक्षण उपरांत मय पूर्ण विवरण के कलेक्टर/जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति को उपलब्ध करानी होगी।
16. संस्था को प्रशिक्षण हेतु दी गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्‌देश्यों के लिये ही किया जायेगा। निर्धारित उद्‌देश्यों के विपरीत राशि का दुरूपयोग करने पर संस्था दाण्डिक ब्याज सहित विभाग को पूर्ण राशि लौटाने के लिये बाध्य होगी।

17. संस्था द्वारा प्रशिक्षण स्थल पर किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों का संचालन नही किया जायेगा।

18. किसी विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

19. प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन/साप्ताहिक पाठ्यक्रम संस्था द्वारा तैयार किया जायेगा उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

20. जिन आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जावेगा उनकी सूची प्रशिक्षण प्रारंभ करने के 3 दिवस में पूर्ण विवरण सहित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या0 हरदा को उपलब्ध करानी होगी।

21. प्रशिक्षणार्थी के आवेदन के साथ समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति, वार्षिक आय प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एंव जन्म दिनांक हेतु प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

22. प्रशिक्षण का आवेदन पत्र मय उक्तानुसार प्रमाण–पत्रों की एक प्रति चयन समिति के समक्ष एंव जिला अंत्यावसायी कार्यालय को प्रस्तुत करना होगी।

स्थान..............................
दिनांक..............................

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	**हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष**
कलेक्टर	**संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम**
जिला	**संस्था प्रमुख का पूर्ण पता,**
	कार्यालय का दूरभाष क्रमांक

.